

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1565 / जी.एस.  
दिनांक: 19/9 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वयल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक: 9632/सम्बद्धता/2006 दिनांक 26-06-2006 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिन कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-9693 की धारा-39 (2) के अधीन अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 900 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-09-2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- 1- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2599/सत्तर-2-2003-96 (62)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निम्न शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- 3- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-9693 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 86-ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
- 4- प्रबन्धक/प्राचार्य, अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर।

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव



राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./जी.एस.  
दिनांक २२/६/२००५

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-८७४२ /सम्बद्धता/२००५ दिनांक २०.४.२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के परन्तुक के अधीन अब्दुल अजीज अन्सारी डिग्री कालेज मजडीहा शाहगंज, जौनपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी.एड.पाठ्यक्रम हेतु १०० सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००५ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा करा लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं ४ प्रवक्ताओं की नियमानुसार नियुक्ति कर ली जायेगी।
३. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
४. महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों का प्रबन्धकीय कोटे में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित योग्यता/श्रेष्ठता सूची के आधार पर एवं निर्धारित शुल्क १४.५०० ही छात्रों से लिया जायेगा
५. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी
६. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
७. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियाँ आगामी १५ जुलाई, २००५ तक पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
२. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद
३. प्राचार्य, अब्दुल अजीज अन्सारी डिग्री कालेज मजडीहा शाहगंज, जौनपुर
४. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, तिलक नगर, शान्ति पथ, जयपुर

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव



F. No./NRC/NCTE/UP-1063/2015

104262

Date:

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

25 MAY 2015

**ORDER**

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. AND WHEREAS, the recognition was granted by NRC to Abdul Aziz Ansari Degree College, Majdeeha, Shahganj, District – Jaunpur-223101, State – Uttar Pradesh for B.Ed. Course vide order No. F. NRC/NCTE/F-3/UP-1063/11654-11662 dated 22.12.2004 with an annual intake of 100 seats from the academic session 2004-2005.

3. AND WHEREAS, the institution Abdul Aziz Ansari Degree College, Majdeeha, Shahganj, District – Jaunpur-223101, State – Uttar Pradesh has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.
- (iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

5. Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Abdul Aziz Ansari Degree College, Majdeeha, Shahganj, District – Jaunpur-223101, State – Uttar Pradesh for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

6. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Cont. 2



8. The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students.
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- (j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution Contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order

(Dr. S.K. Chauhan)  
Regional Director

The Manager to Govt. of India,  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1. The Principal, Abdul Aziz Ansari Degree College, Majdecha, Shahganj, District - Jaunpur-223101, State - Uttar Pradesh.
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of U.P., Directorate, Allahabad, U.P.
4. The Secretary Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
5. The Registrar, Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7. Office order file/ Institution file

Regional Director



कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर को सम्बोधित विशेष सचिव महामहिम कुलाधिपति के पत्र संख्या-ई.स./1565/जी.एस. दिनांक 19.09.2006 की टंकित प्रति:-

आपके पत्र संख्या- 1938/सम्बद्धता/2006 दिनांक 26.06.2006 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ. प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के अधीन अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शार.नादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

\*\*\*\*\*

## वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर


पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/07-24/एक/2007 2396



दिनांक- 4-1-07

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक/प्राचार्य, अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कालेज, मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि महामहिम कुलाधिपति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत करायें।
2. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।
3. समन्वयक बी.एड. प्रवेश सेल को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय को अल्पसंख्यक कोटे की सीटों पर प्रवेश के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

  
कुलसचिव



कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय जौनपुर को सम्बोधित विशेष सचिव महामहिम कुलाधिपति के पत्र संख्या-ई.स./961/जी.एस. दिनांक 22.06.2005 की टंकित प्रति:-

आपके पत्र संख्या- 8742/सम्बद्धता/2005 दिनांक 20.04.2005 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ. प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन अब्दुल अजीज अन्सारी डिग्री कालेज मजडीहा, शाहगंज को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूरा करा लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं 4 प्रवक्ताओं की नियमानुसार नियुक्ति कर ली जायेगी।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों का प्रबन्धकीय कोटे में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित योग्यता/श्रेष्ठता सूची के आधार पर एवं निर्धारित शुल्क 14,500 ही छात्रों से लिया जायेगा।
5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
6. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

\*\*\*\*\*

### वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय जौनपुर

पत्रांक: 1099/सम्बद्धता/2006



दिनांक-17-02-2006

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक/प्राचार्य, अब्दुल अजीज अन्सारी डिग्री कालेज मजडीहा, शाहगंज, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करने का कष्ट करें, तथा आदेश में उल्लिखित समस्त शर्तों की पूर्ति अविलम्ब सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय को सूचित करें अन्यथा की स्थिति में अगले शिक्षा सत्र से कोई भी नया प्रवेश नहीं लेंगे तथा दिनांक 30.06.2006 के पश्चात बिना सम्बद्धता प्राप्त हुए कोई नया प्रवेश नहीं लेंगे।
2. उप/सहायक कुलसचिव, प्रवेश सेल/परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/शैक्षणिक।

उपकुलसचिव  
(सम्बद्धता)



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्था)  
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION  
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)  
NORTHERN REGIONAL COMMITTEE

Office :- A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302004

Website: <http://www.ncte-in.org>

E-mail: [ncte@raj.nic.in](mailto:ncte@raj.nic.in)

Ph. No. :- 0141-2623501, 2622661

Fax No. :- 0141-2620116

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1063/11660

By Regd. Post/Speed Post  
December 22, 2004

### ORDER

Abdul Aziz Ansari Degree College, Majdeeha, Shahganj, Jaunpur (UP) 223 101 submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. course of one Year duration in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grant recognition to Abdul Aziz Ansari Degree College, Majdeeha, Shahganj, Jaunpur (UP) 223 101 for an annual intake of 100 seats (One Hundred only) in B.Ed. course of One year duration with effect from 17<sup>th</sup> December, 2004 subject to compliance of the following conditions before the commencement of the academic session.

- (a) Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./UGC is to be completed before the commencement of the session.
- (b) The countersigned statement of all faculty members from the Registrar of the concerned University should be submitted before the commencement of the academic session 2004-2005.
- (c) The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- (d) The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
- (e) That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the Teachers & Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five years) in a Nationalized Bank.
- (f) Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under section 17 (1) of NCTE Act, 1993.

3. The Recognition is subject to the condition that the affiliating University shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal / Head of Department), as per the norms of the NCTE / UGC / Affiliating University.

Contd.2...





4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.
5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.
6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and/or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.
7. Please acknowledge receipt of this order together with its enclosures.


By Order,

/  
Regional Director

The Manager,  
Government of India,  
Department of Publications, (Gazette Section),  
Civil Lines,  
Delhi - 110054

Copy to:

1. The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi
2. The Education Secretary, Govt. of U.P., Secretariat, Lucknow (U.P.)
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad (U.P.)
4. The Registrar, Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, U.P. - to ensure compliance of the clause 3 of the recognition order. In case the institution is not found to have complied with the said requirements, the concerned department shall withhold the affiliation and report the same to NRC, NCTE.
5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg (Near ITO), New Delhi - 110 002
6. The Principal, Abdul Aziz Ansari Degree College, Majdeeha, Shahganj, Jaunpur (JP) 223 101 - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards Endowment Fund and Reserve Fund is enclosed.
7. The Under Secretary, Computer Section, NCTE, Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg (Near ITO), New Delhi - 110 002
8. Computer cell (NRC)

  
Regional Director

